मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 483 वर्ष 2017

मनीष पाल उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र श्री बालचन्द्र पाल निवासी ग्राम इटौर, थाना बरूआसागर जिला झाँसी

----------याची

प्रति

1. विनोद प्रजापति पुत्र श्री नारायण प्रजापति नि. मुहल्ला कुरयाना झलकारी बाई नगर कस्बा व थाना बरूआसागर, जिला झाँसी

.....मालिक आपे नं. यू.पी. 93 ई 9425

2. कोमल सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह निवासी ग्राम कोलवा थाना बरूआसागर, जिला झाँसी

.....चालक आपे नं. यू.पी. 93 ई 9425

3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नन्दनपुरा पुलिया के पास इलाहाबाद बैंक के ऊपर सीपरी बाजार,झाँसी जरिये मण्डलीय प्रबन्धक

.....बीमा कम्पनी आपे नं. यू.पी. 93 ई 9425

---------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षीगण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता- श्री रणदीप
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची मनीष पाल द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 की धारा 166 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आयी चोटों के कारण ₹ 10,85,000/- क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची मनीष पाल दिनाँक **09.09.2017** को समय करीब 05.00 बजे शाम अपने स्कूल से छुट्टी होने पर बरूआसागर से आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 में बैठकर घर आ रहा था, जिसमें दो सवारी और बैंठी थी। आपे का चालक आपे को बड़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा मना करने पर भी नहीं माना। जैसे ही आपे पंकज फार्म हाउस के सामने पहुँची तो चालक आपे पर अपना संतुलन नहीं रख सका और आपे को पलटा दिया, जिससे आपे में बैठे याची व एक अन्य महिला को गम्भीर चोटें आईं। उक्त घटना को मौके पर उपस्थित लोगों ने देखा व सहायता की तथा याची के घर सूचना दी व इलाज के लिये हड्डी एवं जोड़ रोग अस्पताल, झाँसी में भर्ती कराया तथा दिनाँक 10.09.2017 को डॉक्टर से परमीशन लेकर मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दिखाया व पुनः हड्डी एवं जोड़ रोग अस्पताल, झाँसी में वापस आ गया और दिनाँक 14.09.2017 तक भर्ती रहकर इलाज कराया। दौरान इलाज पैर के एक्स-रे किये गये व ऑपरेशन करके उंगलियों को जोडा गया। याची की उम्र 18 वर्ष की थी तथा वह कक्षा 12 में सरस्वती विद्या मंदिर, बरूआसागर में पढता था। वह खाली समय में घर के कार्यों में सहयोग करता था जिससे उसे **3,000**/- रु. प्रतिमाह की बचत हो जाती थी और परिवार का भरण पोषण होता था। याची की बांये पैर की चौथी व पांचवी उंगली कट कर लटक गयी थी व पंजे में फ्रैक्चर हो गया जिससे पैर में स्थायी अपंगता आ गयी जिससे वह स्कूल नहीं जा पाया व उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गयी व भविष्य में पूर्व की भांति कार्य नहीं कर सकेगा। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक **05.10.2017** को थाना सेंदरी में आपे चालक के विरूद्ध दर्ज करायी गयी।

3. विपक्षी सं. 1 प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 के पंजीकृत स्वामी विनोद प्रजापति की ओर से 12 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के अभिकथनों से इन्कार किया गया है तथा मुख्य रूप से यह अभिकथन किये हैं कि उसके वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुयी है, याची को किसी अन्य कारण से चोट आई है और क्लेम पाने के लिये उसके विरूद्ध झूठी याचिका दायर की है। घटना के दिनाँक को उसके वाहन के समस्त कागजात वैध थे तथा उसके वाहन का चालक कोमल सिंह है, जिसके पास वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स था तथा उसका वाहन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के यहाँ से दिनाँक 15.10.2016 से 14.10.2017 तक विधिवत बीमित है। यदि राय अदालत याची मिनविपक्षी के वाहन आपे के विरूद्ध क्लेम राशि पाने में सफल होता है तो क्लेम राशि के भुगतान के दायित्व की जिम्मेंदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की है।

4. विपक्षी सं. 2 प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 के चालक कोमल सिंह की ओर से 16 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के अभिकथनों से इन्कार किया गया है तथा उसने मुख्य रूप से विपक्षी सं. 1 के समान ही कथन किये हैं। विपक्षी सं. 2 का कथन है कि दर्शित घटना दिनाँक 09.09.2019 को उसके पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था एवं वाहन के सभी प्रपत्र वैध थे। यदि राय अदालत याची मिन विपक्षी के वाहन आपे के विरूद्ध क्लेम राशि पाने में सफल होता है तो क्लेम राशि के भुगतान के दायित्व की जिम्मेंदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की है।

Cytations hyperlinked

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.01 15:49:07 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

5. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कथित प्रश्नगत वाहन सं. यू.पी. 93 ई 9425 की बीमा कम्पनी की ओर से 17 बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के अभिकथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि तथाकथित दुर्घटना के समय आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 के चालक के पास वैध व प्रभावी लाइसेन्स नहीं था तथा विपक्षी सं. 1 के द्वारा आपे संचालन बिना वैध परमिट, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व बीमा के किया जा रहा था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 20.04.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 09.09.2017 को समय करीब 5.00 बजे शाम याची अपने स्कूल से छुट्टी होने पर बरूआसागर से आपे नम्बर यू.पी. 93 ई 9425 में बैठकर घर आ रहा था, आपे चालक ने उक्त आपे को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पकंज खरे के फार्म हाउस के सामने आम रोड ग्राम पुंछी करगुंवा अन्तर्गत थाना सेंदरी जिला टीकमगढ़, म.प्र. में आपे को पलटा दिया, जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं?

2. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर आपे सं. यू.पी.93 ई 9425 के चालक के पास उक्त आपे चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स था?

3. क्या दुर्घटना के दिनाँक व समय पर आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. से बीमित थी?

4. क्या याची कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ, तो किस विपक्षी से व कितनी?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

1. याची द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1 व 9 सी1 क्रमशः प्रथम सूचना रिपोर्ट व चोट प्रपत्र की छाया प्रतियाँ व फैहरिस्त 18 सी1 के माध्यम से 19 सी/1 लगायत 44 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र, अपराध फार्म का विवरण/नक्शा नजरी, इंजरी रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, टेक्निकल मुआइना, सुपुर्दगीनामा व स्टाम्प शुल्क का प्रमाणपत्र की सत्य प्रतिलिपियाँ, असल पर्चे, असल डिस्चार्ज कार्ड, असल पेथोलॉजी रिपोर्टस व विभिन्न असल कैश मेमो व रसीदें आदि शामिल हैं।

2. याची द्वारा एक अन्य फेहरिस्त 49 सी1 के माध्यम से 50 सी1 याची मनीष की असल इंजरी रिपोर्ट दाखिल की गयी है।

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू. 1 याची मनीष तथा पी.डब्लू. 2 स्वतन्त्र साक्षी संतोष सिंह

विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य-

3. विपक्षी सं. 1 की ओर से फेहरिस्त 13 सी1 से 13 सी1/2 लगायत 13 सी1/6 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाणपत्र, बीमा पालिसी, ड्राईविंग लाइसेंस आदि की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

8. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया, व बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

9. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने के लिये याची की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र, अपराध फार्म का विवरण/नक्शा नजरी, इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियाँ व असल इंजरी रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 मनीष पाल स्वयं जिसे कि दुर्घटना में चोटें आयी हैं, एवं पी. डब्लू. 2 संतोष सिंह स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 09.09.2017 समय करीब 5 बजे शाम की है, वह अपने स्कूल बरूआसागर से आपे नं. यू.पी. 93 ई 9425 में बैठक घर आ रहा था। आपे का चालक आपे को तेजी व लापरवाही से चला रहा था, मना करने पर भी। जैसे ही आपे पंकज फार्म हाउस के सामने पहुँची अचानक उक्त चालक आपे पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे आपे में बैठी एक महिला और वह आपे के नीचे दब गये और गम्भीर चोटें आयी। पी.डब्लू. 2 सन्तोष सिंह ने याची की साक्ष्य का समर्थन करते हुये बयान दिया है कि दिनाँक 09.09.2017 को समय करीब 5 बजे शाम की घटना है। वह बरूआसागर से अपनी मोटर साइकिल से जा रहा था, जैसे ही वह पंकज फार्म हाउस के पास पहुँचा तभी पीछे से एक आपे जिसका नं. यू.पी. 93 ई 9425 था, का चालक उक्त आपे को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसे क्रास करके थोड़ा आगे पहुँचा तो चालक आपे पर अपना संतुलन नहीं रख सका और आपे को

पलटा दिया। वह और अन्य लोग मौके पर पहुँचे सीधा किया और उसमें बैठी सवारियों को आपे से निकाला जिसमें एक महिला और दो सवारी और बैठी थी। घायल ने अपना नाम मनीष पाल बताया। उक्त दोनों साक्षीगण पी.डब्लू. 1 व पी.डब्लू. 2 की प्रति परीक्षा में ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुयी है जिससे इन साक्षीगण की साक्ष्य की सत्यता पर संदेह किया जा सके।

बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई अन्वेषण आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है जो यह बताए कि दुर्घटना नहीं हुयी है या अन्य प्रकार से हुई या किसी अन्य वाहन से हुई है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने में लगभग 26 दिन का बिलम्ब है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -20 और 21]*। याची ने याचिका में कथन किया है कि उसे दुर्घटना में गम्भीर चोटें आयीं और उसने दिनाँक 14.09.2017 तक भर्ती रहकर इलाज कराया। पी.डब्लू. 1 के रूप में उसने उक्त कथन का समर्थन करते हुये यह साक्ष्य दी है कि एक्सीडेन्ट के बाद वह अस्पताल में आ गया था, उसने थाने पर दुर्घटना के बावत तहरीर दी थी। इस प्रकार याची ने बिलम्ब का कारण अस्पताल में भर्ती रहना तथा उसके तहरीर देने पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना पंजीकृत की गयी है जिसमें बिलम्ब होना स्वभाविक है। पत्रावली पर याची की ओर से दाखिल आरोपपत्र के अवलोकन से विदित है कि विवेचक ने बाद विवेचना प्रश्नगत आपे के चालक विपक्षी सं. 2 कोमल सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है। 29 सी1 डिस्चार्ज कार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि याची दिनाँक 09.09.2017 को डॉ. गुप्ता हड्डी एवं जोड रोग अस्पताल, झाँसी में भर्ती हुआ है व उसने अपना इलाज कराया है तथा वह 14.09.2017 को डिस्चार्ज किया गया तथा चोट प्रपत्र 50 सी1 से भी स्पष्ट है कि याची ने दिनाँक 10.09.2017 को महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झाँसी में भी अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जिसमें एक्स-रे कराये जाने की सलाह दी गयी है। पुलिस ने विवेचना के पश्चात कोमल सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है जिससे भी याची के मामले का समर्थन होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 09.09.2017 को समय करीब 5.00 बजे शाम याची अपने स्कूल से छुट्टी होने पर बरूआसागर से आपे नम्बर यू.पी. 93 ई 9425 में बैठकर घर आ रहा था, आपे चालक ने उक्त आपे को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पकंज खरे के फार्म हाउस के सामने आम रोड ग्राम पुंछी करगुंवा अन्तर्गत थाना सेंदरी जिला टीकमगढ़, म.प्र. में आपे को पलटा दिया, जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 13 सी1/6 आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 के चालक कोमल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनाँक 16.08.2001 से 08.03.2021 तक एल.एम.वी. वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 09.09.2017 की है। आरोपपत्र चालक कोमल सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 के चालक कोमल सिंह के पास उक्त आपे चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 13 सी1/5 प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत आपे का बीमा पैसेंजर कैरिइंग कामर्सियल लाइबिलिटी के अन्तर्गत दिनाँक 15.10.2016 से 14.10.2017 तक प्रभावी है। इसमे वाहन के यात्रियों के विधिक दायित्व के लिए ₹ 2,487 का प्रीमियम भी लिया गया है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 13 सी1/2 पंजीयन प्रमाण पत्र, 13 सी1/3 परमिट, 13 सी1/4 स्वस्थता प्रमाणपत्र भी प्रश्नगत आपे के दाखिल किये गये हैं, जिनका खंडन भी विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 09.09.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. से बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>**

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ई 9425 के चालक ने आपे को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर आपे को पलटा दिया, जिससे याची को गम्भीर चोटें आयीं। इस प्रकार याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का

अधिकारी है। अब प्रश्न यह हैं कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है? चूँकि वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

14. याची की ओर से अपनी याचिका में दुर्घटना में आयी चोटों से उसे स्थाई रूप से विकलांगता आने का कथन किया गया है किन्तु उसने इस सम्बन्ध में न तो कोई मौखिक और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में याची को दुर्घटना में आयी चोटों के कारण स्थायी अपंगता आ जाने का कथन साबित नहीं होता है। याची ने कथन किया है कि उसे दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण हड्डी एवं जोड़ रोग अस्पताल, झाँसी में 14.09.2017 तक भर्ती रहना पड़ा तथा उसने दिनाँक 10.9.2017 को डॉक्टर से परमीशन लेकर मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दिखाया। दौरान इलाज पैर के एक्स-रे किये गये व ऑपरेशन करके उंगलियों को जोड़ा गया व दुर्घटना में आयी चोटों के कारण व घर के कार्यों में सहयोग नहीं कर पाया तथा बिना सहारे के चल फिर नहीं पाया तथा वह कक्षा 12 का छात्र था उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गयी तथा वह घर के कार्य करके तीन हजार रुपये प्रतिमाह बचत कर लेता था। याची ने पी.डब्लू.1 के रूप में अपने उक्त कथनों का समर्थन किया है। याची ने अपने कथनों के समर्थन में फेहरिस्त 18 सी1 के माध्यम से इलाज के असल पर्चे, असल चोट प्रपत्र, असल डिस्चार्ज कार्ड, असल पेथोलॉजी रिपोर्टस व विभिन्न दवाओं से संबंधित असल कैश मेमो, रसीदें दाखिल की हैं। बीमा कम्पनी की ओर से मात्र ₹ 14,463 के बिल सत्यापित कराये गये हैं। शेष बिल क्यों नही सत्यापित कराये गये इसका कोई कारण दर्शित नही किया गया है। याची की ओर से पत्रावली पर दाखिल बिलों एवं रसीदों का कुल योग ₹ 34,548 होता है, जो कि याची के नाम में हैं, जिन्हें मैं उचित पाता हूँ। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में याची की इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए ₹ 5,000, पुष्टाहार के लिये ₹ 4,000, याची के लगभग 5 दिन हड्डी एवं जोड़ रोग अस्पताल, झाँसी में भर्ती रहने तथा आयी चोटों अनुरूपता मे एक माह कार्य न कर पाने के कारण उक्त अवधि में हुई हानि के मद में ₹ 100 प्रतिदिन के हिसाब से 35×100 = ₹ 3,500, सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर एक मुश्त ₹ 3,000, इलाज के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में ₹ 2,000 दिलाया जाना न्यायोचित समझता हूँ। इस प्रकार कुल मिलाकर याची ₹ 52,048 तथा इस धनराशि पर ब्याज 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक दिलाया जाना भी उचित होगा।

तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त एवं एकल रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 52,048 (बावन हजार अड़तालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010008560 IFSC-SYNB0009235 में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दें। भुगतान करते समय याचिका संख्या का हवाला अवश्य दिया जाए एवं ट्रांजैक्सन नम्बर की सूचना po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर अवश्य भेजी जाए।

याची उक्त धनराशि नकद प्राप्त करेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 27.~~08~~**11**.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 27.~~08~~**11** .2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी।

Date corrected vide order dated 01.12.2020

PO
MACT Jhansi